पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 16360/2021

==========

यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय यू. बी. टावर्स, यू. बी. सिटी नंबर 24, विट्ठल माल्या रोड, बैंगलोर-560001 में है और प्लॉट नंबर ए 1 में कारखाना है। औद्योगिक क्षेत्र, कोपकला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना द्वारा इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय कुमार सिंह, पुरुष, उम्र लगभग 56 वर्षीय पिता - स्व. सर्बदेव सिंह, आवास - शैल भवन, आर. एम. एस. कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना कंकड़बाग, जिला-पटना के निवासी।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. आयुक्त-सह-सचिव, राज्य कर, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र क्षेत्र, पटना।
3. सहायक आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी

==========

बिहार माल प्रवेश कर अधिनियम्, 1993 - धारा 8

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम्, 2005 - धारा 33

सहारा इंडिया(फर्म), लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, सेंट्रल-I एवं अन्य, (2008) XIV एस.सी.सी. 151 पर भरोसा करते हुये रिट पेटीशन को स्वीकार किया गया। निर्णित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पूर्णतः गुप्त, अनुचित और याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी मुद्दे से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, किस आधार पर प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्त्रदायी पाया है, यह आदेश के पढ़ने से नहीं पता चलाता है।

इस मामले को प्राधिकार को लौटाया गया ताकि शर्तो के अधीन इसका निष्पादन किया जा सके।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 16360/2021

==========

यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय यू. बी. टावर्स, यू. बी. सिटी नंबर 24, विट्ठल माल्या रोड, बैंगलोर-560001 में है और प्लॉट नंबर ए 1 में कारखाना है। औद्योगिक क्षेत्र, कोपकला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना द्वारा इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय कुमार सिंह, पुरुष, उम्र लगभग 56 वर्षीय पिता - स्व. सर्बदेव सिंह, आवास - शैल भवन, आर. एम. एस. कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना कंकड़बाग, जिला-पटना के निवासी।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. आयुक्त-सह-सचिव, राज्य कर, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र क्षेत्र, पटना।
3. सहायक आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से: - सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्त

उत्तरदाता/प्रतिवादी की ओर से:- श्री विकास कुमार, एस सी - 11.

==========

कोरम (समक्ष): माननीय मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

==========

(न्यायालय की कार्यवाही माननीय मुख्य न्यायाधीश/माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपने आवासीय कार्यालयों/आवासों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके अलावा, अधिवक्ता और कर्मचारी अपने आवासों/कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए।)

==========

दिनांक: 24-01-2022

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषो के लिए प्रार्थना की हैः

"(i) आदेश और मांग नोटिस को रद्द करना, दोनों दिनांकित 30.07.2021 (अनुलग्नक-9 और 9/1, पृष्ठ-50-53) उक्त आदेश सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 33 के साथ पठित धारा बिहार कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 के तहत पारित किया गया, जिसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति के आधार पर, 2015-16 अवधि के लिए प्रवेश कर के विलंबित भुगतान पर मो. 28,95,728.00 का ब्याज याचिकाकर्ता पर लगाया गया है;

(ii) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा कोई अन्य आदेश (आदेश) पारित किया जाए, जो श्रीमान को उचित लगे।"

सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, सेंट्रल-I एवं अन्य, (2008) XIV एस.सी.सी 151, मामले में माननीय शीर्ष न्यायलय द्वारा निर्धारित कानून

को देखते हुए। यह रिट याचिका की अनुमति दोनों को इक्छुक है क्योंकि हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों से निपटने के लिए प्राधिकरण को नहीं पाते हैं, खासकर, विशेष रूप से तब जब इसमें नागरिक और दंडात्मक दोनों परिणाम शामिल हो। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से गुप्त, अनुचित है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, किस आधार पर प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया है, यह आदेश के पढ़ने से नहीं पता चलता है। प्राधिकारी की मनसा को प्रस्तुत तर्क से परिलक्षित होना चाहिए, जिसे हम तत्काल मामले में बिल्कुल अस्तित्वहीन पाते हैं। 28,95,728 रु. की योग राशि ब्याज के रूप में विवादित आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता पर लगाया गया है।

श्री विकास कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता संख्या 11 ने इस न्यायालय के समक्ष रखी गई (तथ्यों) सामग्री के आधार पर जो प्राधिकरण के समक्ष नहीं राखी गई पर आदेश को सही ठहराने का प्रयास किया है और वह भी उन घटनाओं से पहले जो विवादित आदेश को पारित करने की ओर ले जाती हैं।

खैर, यह कानून में अस्वीकार्य है क्योंकि प्राधिकरण को अपने सामने रखी गई सामग्री पर विचार करना होगा और आदेश को किसी अन्य सामग्री पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

इस प्रकार, हम वर्तमान याचिका का निपटारा निम्नलिखित तरीके से करते है। शर्तेंः

(क) हम सहायक आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, प्रतिवादी संख्या 3 (अनुलग्नक-9) और बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 और धारा 39 के तहत मांग की सूचना द्वारा पारित विवादित आदेश 30.07.2021 को रद्द और ख़ारिज करते हैं।नोटिस आई.डी सं:- N120484903585447] दिनांक 30.07.2021 (अनुलग्नक-9/1);

(ख) हम याचिकाकर्ता को निर्धारण (मूल्यांकन) प्राधिकरण यानी सहायक आयुक्त, राज्य कर, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष 7 फरवरी, 2022 को 10.30 बजे उपस्थित होने का निर्देश देते हैंः यदि संभव हो तो डिजिटल मोड के माध्यम से;

(ग) उस तारीख को, मूल्यांकन प्राधिकरण पक्षों को अभिलेख पर नये तथ्य रखने की अनुमति देगा;

(घ) मूल्यांकन प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामले का निष्पादन गुण - दोष के आधार पर करेगा।

(ङ) पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(च) मामला लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे।

(छ) मूल्यांकन प्राधिकरण कारण निर्दिष्ट करते हुए एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

(ज) याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से ऐसी कार्यवाही में पूरा सहयोग करने और अनावश्यक स्थगन नहीं लेने का वचन देता है;

(झ) मूल्यांकन प्राधिकरण याचिकाकर्ता की उपस्थिति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर गुण-दोष के आधार पर मामले का शीघ्रता से निर्णय पारित करेगा।

(ञ) निर्धारण (मूल्यांकन) प्राधिकरण पक्षकारों को आदेश की एक प्रति प्रदान करेगा;

(ट) यदि आवश्यक हो और वांछित हो, तो आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित है;

(ठ) समान रूप से, आवश्यकता पड़ने पर आगे के उपायों का सहारा लेने के लिए पक्षों के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित है;

(ड) हमें उम्मीद है कि जब भी याचिकाकर्ता उचित मंच के समक्ष इस तरह के उपायों का सहारा लेगा, तो उससे कानून के अनुसार, उचित प्रेषण के साथ निपटा जायेगा।

(ढ़) हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सभी मुद्दों को स्वतंत्र छोड़ दिया है;

(ण) यदि संभव हो, तो वर्तमान महामारी (कोविड-19) के दौरान कार्यवाही डिजिटल मोड के माध्यम से आयोजित की जाए;

तत्काल याचिका का निपटारा उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में किया जाता है।

मध्यस्थ आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी को आदेश को संप्रेषित करने का कार्य करें।

(संजय करोल, मुख्या न्यायाधीश)

(एस. कुमार,न्यायमूर्ति)

अमरेंद्र/पीकेपी

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।